**भारत सरकार**
**संचार मंत्रालय**
**दूरसंचार विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या - 746**
**उत्तर देने की तारीख 07 फरवरी, 2018**

**5जी नीलामी**

**746. डॉ0 उदित राज:**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 5जी की नीलामी 3000 मेगाहर्ट्ज से अधिक बैंड स्पैक्ट्रम विक्रय के द्वारा की जाएगी और इस संबंध में बिक्री पहली बार की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रेल राज्य मंत्री**
**(श्री मनोज सिन्हा)**

(क) और (ख) आगामी नीलामी में पहली बार 3000 मेगाहर्ट्ज से अधिक के स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। सरकार ने 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300-3400 मेगाहर्ट्ज, और 3400-3600 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंडों में स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के अधिकार की नीलामी के लिए लागू आरक्षित मूल्य और संबंधित मुद्दों के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा है। ट्राई की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई है।

सूचनार्थ उल्लेख है कि अंतरराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार अर्थात आईएमटी 2020 के आधिकारिक नाम के तहत अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ अर्थात आईटीयू, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में 5जी प्रौद्योगिकी से संबंधित मानकीकरण कार्य किया जा रहा है। इस मानकीकरण कार्य को वर्ष 2020 तक पूरा किए जाने की आशा है जिसके पश्चात् पहले से ही नीलाम किए गए और नीलाम किए जाने वाले फ्रीक्वेंसी बैंडों को 5जी प्रौद्योगिकी के परिनियोजन के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा।

*******